उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-65/529/एक-1-2016-5(55)/2012

लखनऊ: दिनॉक: 21 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम]1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता]2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78] दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1]दिनॉक 01 जुलाई]1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि]जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1]दिनॉक 05 सितम्बर]1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी] का पुनर्ग्रहण करते हुए रेलवे विभाग] भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग] उत्तर प्रदेश शासन के नितर्वन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	सहारनपुर	हरौडा	सुभरी ख्वाजू	34	0.0100	लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु।
2			सुल्तानपुर	पिलखनी	180	0.0144	
3			हरौडा	अलीपुरा	98	0.0160	
4			सुल्तानपुर	पिलखनी बक्काल	15	0.0160	
5					16	0.0120	
6		नकुड	सरसावा	सौराना	449	0.0045	
7					450	0.1438	
8					451	0.0539	
9					468	0.0043	
10					469	0.0103	
11					483	0.0030	

shasnadesh.up.nic.in

12					484	0.0030	
13		देवबन्द	नागल	पाण्डौली	741	0.0122	
14					690	0.0268	
15					518	0.0220	
16					466	0.0254	
17				बसेडा	234/1150	0.2679	
18					41 म	0.0040	
19					42 म	0.0020	
20					80 म	0.0040	
21					81 म	0.0020	
22					94	0.1597	
23					92 म	0.0040	
24					93 म	0.0020	
25					98	0.1289	
26					97 म	0.0080	
27					117	0.2547	
28					130 म	0.0040	
29					142 म	0.0020	
30					183 म	0.0026	
31					195	0.1353	
32					213	0.0552	
33					212 म	0.0020	
34					214 म	0.0010	
35					229	0.1178	
36					231 म	0.0030	
				योग	**कुल 36 गाटा**	1.5377 हे0	

2. इस आदेश की प्रतियॉं कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित

shasnadesh.up.nic.in

ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूॅजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूॅजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराया जायेगा।

4. डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-सेक्टर मार्ग, मुख्य मार्ग, चकमार्ग, चकरोड, रास्ता, गूल व नाली की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि रेलवे विभाग, भारत सरकार द्वारा सेक्टर मार्ग, मुख्य मार्ग, चकमार्ग, चकरोड व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेंगे तथा गूल व नाली के माध्यम से हो रहे सिंचाई की सुविधा तथा पानी के नैसर्गिक बहाव को भी अवरूद्व नहीं करेंगे।

5. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा शासनादेशों के आलोक में डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित कुल 36 गाटा रकबा 1.5377 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण रेलवे विभाग, भारत सरकार हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

6. कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 व शासनादेश संख्या-745/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

-4-

संख्या-529(1)/एक-1-2016-5(55)/2012 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर ।
4. जिलाधिकारी, सहारनपुर को उनके पत्र संख्या-183/12ए/भू0व्य0, दिनॉक 16.11.2015 के सन्दर्भ में।
5. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया 117/एच-2 राधा भवन, पाण्डु नगर, कानपुर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in